<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 433

06 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

एनएमडीसी द्वारा कर्नाटक में डोनीमलाई में कार्य को रोका जाना

433. श्री माजीद मेमनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा खान से कर्नाटक को बिक्री पर 80 प्रतिशत अधिशुल्क लगाने पर डोनीमलाई में कार्य पर रोक लगा दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कर्नाटक में खानों की पिछली नीलामियों में भाग लिया था तथा 95 प्रतिशत और 105 प्रतिशत का अधिशुल्क प्रस्तावित किया था; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख) : जी हाँ।

(ग): इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर 80% अधिशुल्क लगाने से संबंधित मामले पर पुनः जाँच करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध किया है। चूंकि कर्नाटक सरकार ने शर्त को वापस नहीं लिया है, इसलिए एनएमडीसी लिमिटेड ने दिनांक 17.12.2018 को माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक में एक रिट याचिका दायर की है।

*****